

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 134367

पटना, दिनांक 2/1/13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(द्वि0वि0अभि0)-102-14/2012

प्रेषक,

आदित्य कुमार दास,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि का भुगतान करने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-131647 दिनांक-10.12.2012

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में एक दिन (प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक बैठक के दिन) शिविर आयोजित करने का निदेश प्रसंगाधीन पत्र द्वारा दिया गया था किन्तु जिलों में उपलब्ध निधि के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस दिशा में तत्परतापूर्वक कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

विदित है कि लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि भुगतान नहीं होने से एक ओर उनका आवास निर्माण पूर्ण नहीं हो रहा है वहीं जिला में अत्यधिक निधि अव्यवहृत रहने के कारण भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से आगामी किस्त की निधि विमुक्त कराने में भी कठिनाई हो रही है । यदि निधि का उपयोग तत्काल नहीं हो पाता है तो आगामी किस्तों की निधि विमुक्त होने पर जिला में और भी अधिक निधि उपलब्ध हो जायेगी और निर्धारित सीमा से अधिक अवशेष रहने के कारण अगले वित्तीय वर्ष में बहुत बड़ी राशि की कटौती भारत सरकार के द्वारा कर ली जायेगी, जो चिंता का विषय है ।

इस परिप्रेक्ष्य में योजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन, लाभुकों की समस्या के तत्परतापूर्वक समाधान एवं राज्य को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि हर हाल में 31 मार्च 2013 के पूर्व द्वितीय किस्त या अन्य किस्त के लिए बचे हुए परिपक्व लाभुकों को लंबित सहायता राशि का भुगतान कर उपलब्ध निधि का शत प्रतिशत उपयोग कर लिया जाय ।

अतः अनुरोध है कि इंदिरा आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि के भुगतान के लिए प्रत्येक सप्ताह प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक बैठक के दिन शिविर का आयोजन निश्चित रूप से किया जाय तथा ई-मेल के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह विभाग को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

  
(आदित्य कुमार दास)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 134367

पटना, दिनांक 2/1/13


प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 134367

पटना, दिनांक 2/1/13

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी